

राजस्थान सरकार
शिक्षा (उच्च-4) विभाग

सं. 2/12/शिक्षा/4/90

जयपुर, दिनांक:-

कुल सचिव,

- 7 AUG 1996

राजस्थान शिक्षा बोर्ड, जयपुर ।

विषय:- श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय जयपुर को सत्र 1996-97 से स्थायी अनायास अनुदान-व्यय जारी करने का प्रस्ताव ।

सं. सं.:- निर्देश, राजेश शिक्षा के सं. सं. 2/शिक्षा/न/1/95/2275 दिनांक 20.7.96 ।

महोदय,

उपरोक्त विद्यालयगत निर्देश, राजेश शिक्षा के सं. सं. 2/शिक्षा/न/1/95/2275 द्वारा श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय, जयपुर को सत्र 1996-97 से स्थायी अनायास अनुदान-व्यय निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

1. महाविद्यालय को राजस्थान शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धन प्राप्त करना होगा, तथा सम्बन्धन हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा ।
2. महाविद्यालय को सत्र-2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी हिंदी मातृ भाषा विद्यालयों का पालन करना होगा ।
3. वार्षिक बजट हेतु महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थात् प्राथमिक शिक्षा विभाग की नियुक्ति करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों का अनुदान करना होगा ।
4. महाविद्यालय को सत्र-2 पर उक्त महाविद्यालय स्थापना एवं अन्य शर्तों के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान एवं सहायता राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगी ।

भवदीय

९

डा. एन. सी. शर्मा

विभागाध्यक्ष, उच्च शिक्षा

व्यक्तिगत निर्देशों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :-

1. शिक्षा सहायक, उच्च शिक्षा की महोदय ।
2. जिला सचिव, उच्च शिक्षा की महोदय ।
3. उच्च शिक्षा सचिव, शिक्षा (उच्च-3) विभाग ।
4. विभागाध्यक्ष, शिक्षा (उच्च-4) विभाग ।
5. प्रमुख, श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय, जयपुर ।